

No. 17/49/2010-Pers/BSF/ 14031-14385  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
Directorate General, Border Security Force  
(Personnel Directorate)

Block No-10, 5<sup>th</sup> Floor  
CGO Complex, Lodhi Road  
New Delhi – 110 003

Dated, the 5 March, 2014

To

All Frontier HQrs BSF  
All Sector HQrs/DIsG ISD  
All BNs BSF (THQ/Bn HQ)  
All Training Institutions BSF/STCs  
CENWOSTO/TSU Tekanpur  
SIW/SRO/ATS Tekanpur  
Water Wing Bhuj (Guj)/ Madhopur(Pb)  
South Bengal (Kolkata) & Dhubri (Assam)

**Sub:- FORWARDING OF BORDER SECURITY FORCE,  
VETERINARY STAFF, GROUP 'B' AND 'C'  
POSTS(COMBATISED) RRs-2014**

A copy of the BSF Para Veterinary Staff, Group 'B' and 'C' posts(Combatised) Recruitment Rules-2014 published in the Official Gazette vide GSR – 81(E) dated 21.01.2014 are forwarded herewith for your kind information and necessary action, please.

(Kuldeep Saini)  
Dy Inspector General(Confdl)  
05 March, 2014

Distribution :-

1. Spl DG BSF Kolkata & Chandigarh
2. All IsG at FHQ BSF, Vet Wing(Prov Dte)
3. PS to DG BSF/
4. PS to Addl DsG BSF
5. FA BSF HQ
6. Prov Dte/ Engg Cell
7. PAD BSF
8. Law Branch and D&L Branch, FHQ BSF
9. Staff Section/Recruitment Section/Estt Section
10. NGO's Promotion Desk – Pers Section
11. IT Wing FHQ BSF – for placing on the Web Site of the Force.

TO	
FROM	
DIG	
DATE	
FILE NO	11/3/14
DATE	13/3/14
FILE NO	1397
DATE	11/3/14

Web Desk



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2014/माघ 18, 1935

No. 58]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2014/MAGHA 18, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2014

**सा.का.नि. 81(अ).**— केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा सुरक्षा बल पैरा वेटेनरी स्टाफ समूह 'ग' और 'घ' पद (योधक) भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, के सीमा सुरक्षा बल में पैरा वेटेनरी स्टाफ (योधक) समूह 'ख' और 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, पैरा वेटेनरी स्टाफ समूह 'ख' और समूह 'ग' (योधक), पद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान के होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.**—(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग श्रेण-1, में है, अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

**स्पष्टीकरण.**—इस नियम के प्रयोजन के लिए, भोप-1 से निम्नानुसार अभिप्रेत है :-

(i) कोड अक्षर श्रेण (एस एच ए पी ई), जो निम्नलिखित कृत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित किए गए कारकों के अधीन अधिकारी की उपयुक्तता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्साधिकारी द्वारा किया गया वर्गीकरण अर्थात् :-

S— मनोवैज्ञानिक ( Psychological )

H—श्रवण क्षमता ( Hearing )

A—एपेंडेजेज ( Appendages )

P—शारीरिक क्षमता ( Physical Capacity )

E—दृष्टि क्षमता ( Eye-Sight )

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहाँ कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी 1 में है वहाँ उसका प्रवर्ग एस1 एच1 पी1 ए1 पी1 ई1 लिखने के बजाय शेष— लिखकर दर्शाया जा सकेगा । इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :-

- (1) भारत में कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य ।
- (2) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आँखों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं ।
- (3) एस कारक को छोड़कर, नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडों पर दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं ।
- (4) अस्पताल में भर्ती होने या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अस्वस्थ ।
- (5) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य ।

#### 5. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**6. शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**7. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**8. अन्यदेशीय की अपात्रता.**—इन नियमों के अधीन कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, सिवाय ऐसे मामले में जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में सहमति दी गई हो, नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा ।

परन्तु इन नियमों में अन्तर्विष्ट कोई भी उपबंध नेपाल या भूटान के नागरिकों को इस नियम के अन्तर्गत नियुक्ति, भर्ती या नियोजित करने से वर्जित नहीं करेगा ।

**9. अधिवर्षिता.**—पद धारण करने वाले किसी अधिकारी की सेवा निवृत्ति उस मास के अंतिम दिन के अपराहन में प्रभावी होगी जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु का हो जाता है:

परन्तु ऐसे अधिकारी, जिनके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख को है, यथास्थिति सत्तावन वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम तारीख के अपराहन को सेवानिवृत्त होंगे ।

**10. सेवा का दायित्व.**—इन नियमों के अधीन पदों के किसी प्रवर्ग पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं भी ऐसी सेवा करने का दायी होगा ।

**11. निजी व्यवसाय.**—इन नियमों के अधीन किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को निजी व्यवसाय करना जिसके अन्तर्गत सलाह देना और प्रयोगशाला व्यवहार भी सम्मिलित है, अनुज्ञेय नहीं होगा ।

